राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी–श्री मुकेश चौधरी, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या– 18/2024
जी0सी0एम0एस0 संख्या– 2024/25
दायर दिनांक– 1.4.2024
निर्णय दिनांक– 12.6.2024
उनवानी–

1. विष्णुदत्त पुत्र बालाबक्ष जाति ब्राह्मण नि0 ग्राम रूपनगढ़ तहसील रूपनगढ़ ....प्रार्थी

बनाम

1. चंद्रप्रकाश पुत्र हरिशंकर
2. सूर्यप्रकाश पुत्र हरिशंकर
3. गायत्री देवी पत्नि शिवचरण
4. भवानीशंकर पुत्र बालाबक्ष
   सर्वजाति ब्राह्मण सर्वनिवासी ग्राम रूपनगढ़ तहसील रूपनगढ़
5. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, रूपनगढ जिला अजमेर राजस्थान —अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति–:

1. श्री विमल किशोर तिवाड़ी अधि0 प्रार्थी
2. श्री विजय पारीक अधि0 अप्रार्थी संख्या 1–4
3. पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ़

–:निर्णय:–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की कब्जे काश्त एवं एकल खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम रूपनगढ़ पटवार हल्का रूपनगढ़ भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र रूपनगढ़ जिला अजमेर में स्थित है जिसके वर्तमान जमाबन्दी अनुसार खाता संख्या 1720 के ख0न0 849 रकबा 0.8555 है0 भूमि है। उक्त सम्पूर्ण भूमि प्रार्थी के नाम एकल खातेदारी में राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 की संयुक्त कब्जे काश्त खातदेारी की कृषि भूमि ग्राम रूपनगढ़ तहसील रूपनगढ़ जिला अजमेर में स्थित थी जिसके पुराना ख0न0 849 रकबा 21 बीघा 3 बिस्वा किस्म बारानी प्रथम थी। उक्त संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि का प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 के मध्य आपसी सहमति से बंटवारा किया गया है तथा आपसी सहमति बंटवारा तहसीलदार रूपनगढ़ के समक्ष पेश किया गया जिस पर तहसीलदार ने उक्त सहमति बंटवारा के प्रकरण को दिनांक 12.6.2017 को राजस्व लोक अदालत अभियान 2017 कैम्प में रखा गया तथा सहमति बंटवारा स्वीकार के आदेश दिनांक 12.6.2017 को जारी किया गया। उक्त बंटवारा आदेश में प्रार्थी के नाम ख0न0 849 रकबा 05–05–15 किस्म बारानी प्रथम रखी गयी थी तथा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम ख0न0 849/1 रकबा 05–05–15 बहिस्सा बराबर बराबर है जिसका वर्तमान ख0न0 2888/849 रकबा 0.8555 है0 बने है। अप्रार्थी संख्या 3 के नाम ख0न0 849/2 रकबा 05–05–15 है जिसका वर्तमान ख0न0 2889/849 रकबा 0.8555 है0 बने है तथा अप्रार्थी संख्या 4 के नाम ख0न0 849/3 रकबा 05–05–15 है जिसका वर्तमान ख0न0 2890/849 रकबा 0.8555 है0 बने है। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 के मध्य बंटवारा होने के पश्चात राजस्व रिकार्ड नक्शा ट्रेस में तरमीम की गयी। [illegible] अपनी कब्जे काश्त एवं खातेदारी की कृषि भूमि ख0न0 849 रकबा 0.8555 है0 का सहमति बंटवारा [illegible] बंटवारा का नक्शा व वर्तमान ऑन लाईन नक्शा की कॉपी प्राप्त कर पटवारी हल्का से [illegible] करवायी गयी तब पटवारी हल्का पटवारी ने प्रार्थी की उक्त भूमि का स्कैल से नाप चौप करके बताया गया कि आपके खसरा की जमीन राजस्व रिकार्ड में सहमति बंटवारा के नक्शे में ही रखी नक्शा [illegible] तरमीम के अनुसार वर्तमान ऑन लाईन नक्शा की तरमीम सहवन से गलत हो रखी है तथा वर्तमान जमाबन्दी अुनसार वर्तमान नक्शा के नाम में जमीन कम आ रही है। इसलिए प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 की भूमि का पूर्व में किये

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Choudhary
Date: 2024.06.21 14:07:53 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

गये सहमति बंटवारा के अनुसार वर्तमान ऑन लाईन नक्शा में तरमीम सहवन से गलत दर्ज हो गयी है उक्त नक्शे में हो रखी गलत तरमीम को दुरूस्त करवाने हेतु प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। प्रार्थी की ओर से निवेदन है कि प्रार्थी की खातेदारी की भूमि के वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबंदी अनुसार ख0न0 849 रकबा 0.8555 है0 भूमि का वर्तमान राजस्व नक्शा में सहवन से गलत तरमीम हो गयी जिसको दुरूस्त करवा कर सही तरमीम किये जाने के आदेश बहक प्रार्थी प्रदान करावे एवं अप्रार्थी संख्या 5 को उसी अनुसार राजस्व रिकार्ड नक्शा में सही तरमीम का अमल दरामद करने के आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस की गयी। अप्रार्थीगण के नोटिस तामिलशुदा प्राप्त। अप्रार्थी संख्या 1 से 4 की ओर से अधिवक्ता ने उपस्थित होकर जवाब पेश किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 से 4 ने अपने जवाब में कथन किया उनका हित सुरक्षित रखते हुये राजस्व रिकार्ड के नक्शें में गलत तरमीम हुई हो तो शुद्ध किया जाना न्यायहित में है। पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ़ की ओर से प्रकरण में जवाब पेश किया गया। पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ़ के जवाब अनुसार डिजीटल शीट में नाप रकबा बरारी करने पर ख0न0 849 का रकबा 0.7816 है0, ख0न0 2888/849 का रकबा 0.9677 है0, ख0न0 2889/849 का रकबा 1.0061 है0 तथा ख0न0 2890/849 का रकबा 0.8570 है0 आता है जबकि राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी संवत् 2073–76 जमाबंदी वर्ष 2019 से स्थायी में ख0न0 849 रकबा 0.8555 है0, ख0न0 2888/849 रकबा 0.8555 है0, ख0न0 2889/849 रकबा 0.8555 है0 व ख0न0 2890/849 रकबा 0.8555 है0 दर्ज है। राजस्व नक्शे डिजीटल शीट में मूल ख0न0 849 का रकबा बरारी करने पर रकबा 3.6124 है0 आता है जबकि जमाबन्दी मे मूल ख0न0 849 का कुल रकबा 3.4220 है0 दर्ज है इसलिए डिजीटल शीट में रकबा बरारी करने पर जमाबन्दी से अधिक क्षेत्रफल आता है। पैरोकार सरकार ने राजस्व नक्शे में प्रस्तुत नजरी नक्शानुसार समानुपाती लाल स्याही अनुसार तरमीम किये जाना की अनुशंषा जाहिर की। प्रकरण में उभयपक्ष पक्ष की बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने अपनी में निवेदन किया कि सहमति बंटवारा पश्चात ऑन लाईन नक्शे में गलत हुई तरमीम को दुरूस्त करने के आदेश प्रदान करावें। वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस में अपना हित सुरक्षित रखते हुए गलत हुई तरमीम को शुद्ध किये जाने को उचित ठहराया। पैरोकार सरकार ने अपने जवाब को ही बहस के तथ्य माने जाने हेतु निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अध्ययन, दस्तावेजों का अवलोकन व उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। तदनुसार प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–131, 136 राजस्थान भू –राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार रूपनगढ़ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के साथ संलग्न नक्शा ट्रेस अनुसार नक्शे में तरमीम शुद्धि करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार रूपनगढ़ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के साथ संलग्न दर्शित नजरी नक्शा इस निर्णय का अभिन्न भाग होगा।

निर्णय आज दिनांक 12.6.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं शामिल पत्रावली किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Mukesh Choudhary
Date: 2024.06.21 14:07:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)